

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 1353/11

संस्थित दिनांक-02.12.11

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

बंटी पुत्र जहानसिंह गुर्जर उम्र 35 साल
निवासी ग्राम ग्राम अतरसोहा थाना मौ
जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 18.05.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 504, 325 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 03.02.11 को प्रातः 9:30 बजे ग्राम अतरसोहा वकील के घर के सामने मौ जिला भिण्ड पर जगदीश को गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशांति भंग करे या अन्य कोई अपराध कारित करे तथा जगदीश की मारपीट कर अस्थिभंग कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 03.02.11 के एक रात्रि पहले अभियुक्त फरियादी के गौंडा के सामने से निकला था तो फरियादी ने उसे टोका जिस पर फरियादी से अभियुक्त का मुंहवाद हो गयी। इसी बात से घटना दिनांक को सुबह करीब 9:30 बजे फरियादी बकीलसिंह के मकान के सामने बैठा था कि अभियुक्त आया और गाली गलौच करने लगा। जब फरियादी ने गाली गलौच करने से मना किया तो उसने हाथ में लिया डण्डा मारा जो बाएँ हाथ के पंजे व दोनों घुटनों में लगा जिससे पंजे में सूजन आ गयी। लोधासिंह व पुलंदरसिंह थे जिन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया। उक्त आशय की सूचना से अदम चैक रिपोर्ट 6/11 पंजीबद्ध की गयी। फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने पर अपराध क्रमांक 20/11 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेख किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी व जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के द्वारा दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण में उसके निर्दोष होने तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाने का कथन किया गया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 03.02.11 को प्रातः 9:30 बजे ग्राम अतरसोहा वकील के घर के सामने मौ जिला भिण्ड पर जगदीश को गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशांति भंग करे या अन्य कोई अपराध कारित करे ?
2. क्या उक्त दिनांक एवं समय या उसके लगभग आहत जगदीश को शरीर पर चोटे मौजूद थी, यदि हां तो उनकी क्या प्रकृति थी ?
3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी जगदीश की मारपीट कर अस्थिभंग कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित की ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रकरण में पुलंदरसिंह अ०सा० 1, लोथासिंह अ०सा० 2, जगदीश अ०सा० 3, रामशरणसिंह अ०सा० 4 डा० उपेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा० 5, सुरेशसिंह भदौरिया अ०सा० 6, को परीक्षित कराया गया। जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

--:: विचारणीय प्रश्न कं० 1 का निष्कर्ष ::--

6. फरियादी जगदीश अ०सा० 3 अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि करीब 6 साल पहले रात के करीब 9 बजे उन्होंने अभियुक्त बंटी को रोका था क्योंकि वह चोर है, इसी बात पर वह गाली देने लगा। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे बकील के घर के सामने अतरसोहा में बैठा था तब अभियुक्त बंटी लाठी लेकर आया और गाली गलौच करने लगा, मना किया तो लाठी मारी। घटना की रिपोर्ट अदम चैक प्र०पी० 3 के रूप में किया जाना बताते हुए नक्शामौका प्रपी० 4 बनाए जाने का कथन करते हैं, दोनों पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। फरियादी के कथन एवं नक्शामौका प्र०पी० 2 के अनुसार घटनास्थल बकीलसिंह के घर के सामने सार्वजनिक मार्ग पर दर्शाया गया है। अपने अभिसाक्ष्य में कहीं भी साक्षी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया कि अभियुक्त ने उसे कौनसी गालियां दी थी। ऐसा भी कोई कथन नहीं किया गया है कि अभिकथित गालियां सुनकर वह प्रकोपित हुआ हो और लोकशांति भंग करने अथवा किसी अपराध को कारित करने के लिए उत्प्रेरित हुआ हो।

7. घटना के कथित चक्षुदर्शी पुलंदर अ०सा० 1 एवं लोधासिंह अ०सा० 2 दोनों ही पक्षविरोधी हो गए हैं। प्रकरण में अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है कि उसने अभिकथित घटना दिनांक को फरियादी को कौनसे अश्लील शब्द या गालियों का उच्चारण किया था। इस प्रकार से संहिता की धारा 504 के आरोप के संबंध में अभियुक्त पर आपराधिक दायित्व के अधीन दण्डित किए जाने के लिए सारवान साक्ष्य नहीं पाई जाती है। अतः उक्त आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

--: विचारणीय प्रश्न कं० 2 का निष्कर्ष ::--

8. फरियादी जगदीश अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि जब वे बकीलसिंह के घर के सामने बैठे थे तब अभियुक्त आया और गाली गलौंच करने लगा, मना किया तो बाएं हाथ की उंगली में लाठी मारी जो फेक्चर हो गयी और घुटनों में लाठी लगी। अपने अभिसाक्ष्य में उसे बाएं हाथ के उंगली एवं घुटनों में चोट आने का कथन किया गया है। घटना के पश्चात् प्र०पी० 3 की रिपोर्ट लिखाए जाने और उसका मेडीकल होने का भी कथन किया है। डा० उपेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 03.02.11 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को सैनिक लालसिंह क० 181 द्वारा लाए जाने पर आहत जगदीश का चिकित्सीय परीक्षण किया था। चिकित्सीय परीक्षण में आहत को निम्न चोटें पाई थी—

1—एक नीलगू निशान आकार 4 गुणा 3 सेमी० दाहिने घुटने और उसके निचले हिस्से पर।

2—एक छिला हुआ घाव आकार 3 गुणा 2 सेमी० बाएं घुटने पर था।

3—एक नीलगू निशान सूजन के साथ जिसका आकार 5 गुणा 3 सेमी० बाएं हथेली के उपर और बाएं हाथ की इण्डेक्स फिंगर के निचले हिस्से पर सूजन और दर्द मौजूद था।

9. डा० उपेन्द्रसिंह अ०सा० 5 यह अभिमत देते हैं कि आहत जगदीश को पहुंचाई सभी चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से कारित हुई थी, जो कि परीक्षण की अवधि से 24 घण्टे के भीतर की थी। चोट क० 2 साधारण प्रकृति की तथा चोट क० 1 व 3 के लिए एक्सरे की सलाह दिए जाने का कथन किया गया है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 7 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। उसी दिनांक को आहत के एक्सरे परीक्षण करने पर उसके बाएं हाथ की इण्डेक्स फिंगर में अस्थिभंग पाए जाने का कथन करते हुए एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 8 बताकर उस पर भी अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्र०पी० 7 व 8 की रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर उक्त अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन सम्यक रूप से निष्पादित किए जाने की उपधारणा का आधार दर्शाते हैं। अभियुक्त की ओर से भी प्रकरण में फरियादी को घटना दिनांक को शरीर पर चोटें मौजूद होने के तथ्य को खण्डित नहीं किया है। जहां स्वयं आहत को एक ओर प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में पक्के खरंजे पर फिसलकर गिरने से चोट कारित होने का सुझाव दिया है और दूसरी ओर कण्डिका 4 के अंत में सुझाव दिया है कि फरियादी ने अभियुक्त से गाली गलौंच की थी इस कारण से अभियुक्त ने लाठी मार दी थी। इस प्रकार से स्वयं परस्पर विरोधाभासी सुझाव दिया है और स्वयं सुझाव के रूप में अभियुक्त द्वारा लाठी से फरियादी को उपहति कारित किए जाने का तथ्य अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। डा० उपेन्द्रसिंह अ०सा० 5 को एक भिन्न सुझाव

देते हुए मोटरसाईकिलों के आपस में टकरा जाने से चोटें कारित होने का सुझाव दिया है। इस प्रकार से स्वयं अभियुक्त की ओर से दिए गए सुझावों से आहत जगदीश को दिनांक 03.02.11 को शरीर पर चोटें मौजूद होने तथा बाएं हाथ की इण्डेक्स फिंगर में अस्थिभंग होने का तथ्य प्रमाणित हो जाता है। अब यह विवेचन किया जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा आहत को उक्त उपहति स्वेच्छा कारित की गयी।

--:: विचारणीय प्रश्न कं० 3 का निष्कर्ष ::--

10. फरियादी जगदीश अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन करते हैं कि जब वे बकील सिंह के घर के सामने बैठे थे तो अभियुक्त आया और गाली गलौंच करने लगा, मना करने पर लाठी मार दी। इस प्रकार से अभियुक्त के स्वेच्छिक कृत्य के द्वारा आहत को घोर उपहति कारित होने के संबंध में कथन किया गया है। अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया है कि उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। कथित रंजिश के संबंध में प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 4 में सुझाव दिया गया कि फरियादी अभियुक्त बंटी पर झूठे केस लगवाता रहता है। प्रकरण में ऐसा किसी भी मामले का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें अभिकथित रूप से फरियादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट की गयी हो अथवा उसमें साक्षी हो। कथित रंजिश के तथ्य को प्रमाणित किए जाने के संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई भी सारवान तथ्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी दशा में लिया गया बचाव अभियुक्त को कोई लाभ प्रदान नहीं करता है।

11. यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि कथित चक्षुदर्शी साक्षी पुलंदर अ०सा० 1 एवं लोधासिंह अ०सा० 2 दोनों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, इस कारण से एकमात्र फरियादी के कथन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। साक्ष्य विधि के अधीन साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि साक्षी के कथन पर न्यायालय को विश्वास होना चाहिए। आहत की साक्ष्य मामलों में महत्वपूर्ण होती है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि –

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

12. इस प्रकार से फरियादी जगदीश अ०सा० 3 के कथन पर अविश्वास का क्या आधार है, यह देखना आवश्यक है। प्रकरण में घटना सुबह करीब 9:30 बजे की बताई गयी है, जबकि अदम चैक

रिपोर्ट प्र०पी० 3 दोपहर 1:45 बजे लेख की गयी है जिसके संबंध में अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया है कि फरियादी ने अपने पुत्र ब्रजेन्द्र से सलाह कर थाने में जाने का तथ्य स्वीकार किया है, इस कारण से अभियोजन का मामला संदिग्ध होने का तर्क प्रस्तुत किया है। फरियादी जगदीश अ०सा० 3 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार किया है कि थाने रिपोर्ट करने के लिए वह तथा पुत्र घर से सलाह करके चले थे। साक्षी यह कथन करता है कि रिपोर्ट के लिए करीब 11 बजे निकले थे और 12 बजे पहुंच गए थे। ऐसे में घटनास्थल की थाने से दूरी करीब 20 किमी० प्र०पी० 9 के अनुसार लेख की गयी है, जो कि विलंबकारी नहीं हैं। प्रकरण में यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्वयं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में सुझाव दिया गया कि फरियादी द्वारा गाली दिए जाने के कारण अभियुक्त ने लाठी मारी, यद्यपि फरियादी ने उक्त सुझाव से इंकार किया है, किन्तु स्वयं सुझाव से अभियुक्त के द्वारा उपहति कारित किए जाने का तथ्य पुष्ट हो जाता है।

13. रामशरण अ०सा० 4 अनुसंधानकर्ता हैं, जो प्र०पी० 4 का नक्शामौका बनाए जाने और साक्षियों के कथन लिए जाने का तथ्य प्रकट करते हैं। अभियुक्त के आधिपत्य से अपराध में प्रयुक्त डण्डा जवाब कर जब्ती पत्रक प्र०पी० 6 बनाए जाने का कथन करते हैं जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। सुरेशसिंह भदौरिया अ०सा० 6 फरियादी की अदम चैक उपरांत चिकित्सीय परीक्षण में अस्थिभंग पाए जाने से, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 9 लेखबद्ध किए जाने का कथन करते हैं जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य औपचारिक है। प्रकरण में फरियादी के कथन में कोई सारवान विरोधाभास व लोप प्रकट नहीं हुआ है जिसके आधार पर उसके कथन पर अविश्वास किया जावे, ऐसे में जगदीश अ०सा० 3 का कथन विश्वसनीय पाया जाता है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 03.02.11 को प्रातः 9:30 बजे ग्राम अतरसोहा वकील के घर के सामने मौ जिला भिण्ड पर जगदीश की मारपीट कर अस्थिभंग कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 325 के अधीन **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त को संहिता की धारा 504 के आरोप प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोप के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त पूर्व से अभिरक्षा में हैं।

16. अभियुक्त के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

17. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के ग्रामीण परिवेश के होकर नवयुवक हैं। अतः इस आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।
18. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का अवश्य हैं। उभयपक्ष एक ही गांव के निवासी है ऐसे में कठोरतम दण्ड से दण्डित करने की दशा में उनके मध्य भविष्य में संबंधों की मधुरता की संभावना समाप्त हो जावेगी। अभियुक्त अभिकथित घटना के समय 28 वर्षीय नवयुवक था। ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 325 के अधीन एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।
19. अभियुक्त से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत जगदीश पुत्र पहलवानसिंह गुर्जर आयु करीब 67 साल निवासी ग्राम अतरसोंहा थाना मौ जिला भिण्ड को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दफ़्त की धारा 357-1 ख के अधीन 500 रुपये (पांचसौ रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।
20. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
21. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।
22. अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि को दी गयी सजा से मुजरा किया जावे, इस संबंध में धारा 428 दफ़्त का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया ।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश